संख्या-377/2018/3893/पांच-6-2018-05(रिट)/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **महानिदेशक,**
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2018**

विषय:- जनहित याचिका संख्या-14588/2009 **स्नेहलता सिंह 'सेलेन्टा' व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा**0 **उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक** 09.03.2018 **में दिये गये निर्देशों का अनुपालन।**

महोदय,

जनहित याचिका संख्या-14588/2009 **स्नेहलता सिंह 'सेलेन्टा' व अन्य बनाम उ**0**प्र**0 **राज्य व अन्य में मा**0 **उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक** 09.03.2018 **को प्रस्तर**-146(xi) **पर नियमानुसार आदेश पारित किया** :-

It shall also be ensured that all Government Officials and others who receive salary or other financial gains from Government/Public exchequer, should avail Medical Care services from Hospitals run and maintained by Government and whenever any High leve l officials, political Executives or other dignitaries go for treatment, Medical Officer on duty, by roster, shall attend him and there shall be no special VIP treatment. If medical care is obtained in Private Hospital etc. Government must not reimburse the same. However, if there are some kinds of diseases or ailment, treatment/cure whereof is not available in Government Hospitals, and for that purpose, treatment in private becomes necessary, this condition may be relaxed but in such contingency, Government must ensure that for similar ailments and deceases if suffered by common poor people, arrangement should be made for their treatment also at Government expenses in such Private Medical Care Institutions.

---

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है।**

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के हेतु शासनादेश संख्या-3387/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 25.10.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-3417/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 30.10.2018 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-14588/2009 स्नेहलता सिंह 'सेलेन्टा' व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किये जाने हेतु शासन के आदेश संख्या-यू0ओ0-2680/सात-न्याय-6-2018-3(6)/2017 चिकित्सा अनुभाग-1, दिनांक 30.05.2018 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के जनहित याचिका-14588/2009 स्नेहलता सिंह 'सेलेन्टा' व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 से पूर्व निजी चिकित्सालयों में करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति पूर्व की भांति सुसंगत नियमोंके आलोक में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,
पंकज कुमार
सचिव।

संख्या-377/2018/3893/पांच-6-2018-05(रिट)/2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक (सामु0स्वा0केन्द्र/प्राथ0स्वा0केन्द्र), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. समस्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0।
6. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।